संख्या–511 / 9–आ–3–98–32 एल.सू.सी / 96

प्रेषक **श्री अतुल कुमार गुप्ता,**
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

3. अध्यक्ष
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 20 अप्रैल, 1998

विषय : निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज तथा डेन्टल कालेज की स्थापना हेतु महायोजना में भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में नीति।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज तथा डेन्टल कालेज की स्थापना की नीति घोषित की गई है। इस नीति के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किए गये है जिसके आधार पर आल इंडिया काउंसिल फार टेक्नीकल एजूकेशन, मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया तथा डेंटल काउंसिल आफ इंडिया से अनुमति पत्र प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित संस्था द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त सम्बन्धित काउंसिलों द्वारा यह दिशा–निर्देश जारी किए गये हैं कि आवेदन पत्र के साथ कालेज निर्माण हेतु चयनित भूमि का महायोजना में भू–उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाए। इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज तथा डेन्टल कालेज की स्थापना हेतु बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। अतः प्रायः इन संस्थाओं के लिए आवश्यक भूमि नगर के बाहरी क्षेत्र में क्रय की जाती हैं यह भूमि महायोजना में कृषि भू–उपयोग अथवा अन्य इतर भू–उपयोग में प्रदर्शित होने के कारण भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही में लिया गया कि जिन निजी इंजीनियरिंग कालेजों, मेडिकल कालेजों तथा डेन्टल कालेजों को प्राविधिक शिक्षा विभाग / चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी कर दिये गये हैं, उनके मामलों में उदारतापूर्वक विचार किया जाए तथा भू–उपयोग परिवर्तन के प्रत्यावेदनों पर सम्बन्धित विकास प्राधिकरण की आख्या / प्रस्ताव शासन को 15 दिन के अन्दर प्रेषित कर दिये जाए। इन प्रस्तावों पर प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की आख्या भी आवश्यकतानुसार ही प्राप्ति की जाएगी। शासन द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव पर निर्णय प्राधिकरण की आख्या प्राप्त होने के पश्चात एक माह के अन्दर ले लिया जाए।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निजी इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज तथा डेन्टल कालेज के भू–उपयोग परिवर्तन के प्रत्यावेदनों पर यदि उनके विभाग द्वारा सम्बन्धित को प्राविधिक शिक्षा विभाग / चिकित्सा शिक्षा विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रस्तुत कर दिया गया हो, उन पर प्राधिकरण की आख्या / प्रस्ताव कृपया 15 दिन के अन्दर शासन को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। इन प्रस्तावों पर प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भू–उपयोग परिवर्तन के लिए यथानिर्धारित शुल्क भी यथा समय देय होगा। कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–511(1) / 9–आ–3–98 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4. उत्तर प्रदेश, आवास बन्धु।

आज्ञा से,

एच. पी. सिंह
अनु सचिव